फरार है भगोड़ा होता है ऐसे में अपीलीय के विरुद्ध अपील निष्पादन घोषित की जाता है कि कामे चक 45 PD के खाता सं० 31 के प.न 164/346 मु०न० 37 के किता 19-22 के 0.506 हे० कास्त व प.न. 165/347 मु०न० 60 के कि०न० 1.759 = 1.265 हे० कुल 1.771 हे० कास्त राकि खातेदारी व चक 18 MP के संयुक्त खाता 32/27 के प०न 167/339 मु०न 19 के 3.162 हे० नहरी व प०न० 167/340 मु०न 26 के 3.162 हे० नहरी कुल खाता मोक 6.324 हे० नहरी का 1/5 हिस्सा अर्थात 1.265 हे० नहरी इस प्रकार दोनों चकों की 3.036 हे० नहरी राकि को आगामी तारीख पेशी तक डिक्री की अनुपालना बाबत बैंक तक रहन बैंक व किसी तरह के हस्तांतरण नहीं करेंगे अपील प्रार्थीगण 839 R3 CPC की पालना करेंगे। पत्रावली आदेश हेतु रखा जावे दि० 17/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

17/2/25 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 22/05/25 को पेश हो।

22/5/25 वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है, पत्रावली दिनांक 20/5/25 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.05.26 12:20:17 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

20/5/26 वकील अपीलीगण हाजिर। अपीलीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है आज अपीलीगण को आगामी कार्यवाही नहीं। परन्तु हाजिर नहीं होने से वकील अपीलीगण को एक तरफा सुना गया। अगर अपीलीगण होता तो न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान जरूर करता। परन्तु अपीलीगण ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में दिनांक 17.12.24 को अपीलीगण के विरुद्ध पारित आदेश के मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसले में शामिल होकर अपील खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner